XIV-Form No. 563

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0–108 / 2008

राज कुमार मोदी उर्फ ब्रज किशोर मोदी, पिता–स्व0 रामेश्वर मोदी, सा0– नाथपुर, थाना–रूपौली, जिला–पूर्णियाँ..... आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार
2. प्रभाष मोदी, पिता– स्व0 हरि प्रसाद मोदी
3. नरेश मोदी, पिता– स्व0 हरि प्रसाद मोदी
4. सुभाष मोदी, पिता– स्व0 हरि प्रसाद मोदी
तीनों साकिन नाथपुर, थाना–रूपौली, जिला–पूर्णियाँ..... विपक्षी

आ दे श

यह नामान्तरण पुनरीक्षण वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या 27 / 06–07 में दिनांक 31.05.2008 को पारित
46 / 08–09
आदेष के विरूद्ध दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि मौजा मौजा गौरांन, थाना नं0–299, आर0एस0 खेसरा संख्या 31 कुल रकवा 1.58 एकड के आधे अर्थात् 079 डि0 जमीन में उनका दखल है। दखल कब्जा के आधार पर 079 डिसमल जमीन का नामान्तरण अंचल अधिकारी द्वारा मेरे नाम से किया गया था। आवेदक का यह भी कथन है कि विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई भी फैसला नहीं कर सकता है। अतः स्वामित्व के आधार पर नामान्तरण खारिज करना पूर्णतः अवैध है। हरि प्रसाद मोदी (विपक्षी के पिता) द्वारा जमीन खरीद किया गया था। जिस पर दोनों पक्ष संयुक्त रूप से दखलकार थे।

वाद सं0 212M / 1961 धारा 145 सी0आर0पी0सी0 में हरि प्रसाद मोदी एवं रामेश्वर मोदी का संयुक्त दखल पाया गया एवं सी0आर0राजस्व वाद 461 / 62 में उक्त दखल को सम्पुष्ट किया गया। अंचल अधिकारी के आदेश को बहाल रखते हुए विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता धमदाहा के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी उपस्थित हुए। विपक्षीगण का कथन है कि विवादित जमीन उनके पिता हरि प्रसाद मोदी ने आनन्दी चरण सिंह से केवाला के माध्यम से खरीद किया था। और उसके नाम से जमाबंदी कायम हुआ है। इस प्रकार प्रष्नगत जमीन में हरि प्रसाद मोदी के भाई रामेश्वर मोदी का हिस्सा नही बनता है। राजस्व न्यायालय व्यवहार न्यायालय की तरह बंटवारा नहीं कर सकता है। वे अंचल अधिकारी के आदेश को खारिज कर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के आदेश को बहाल रखने हेतु अनुरोध किये हैं।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

दिनांक 14.05.2010 को सुनवाई हुई। विद्वान अंचल अधिकारी, रूपौली, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा उनके दखल–कब्जा को दिखाया गया। परन्तु विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, धमदाहा के द्वारा इसे नजरअंदाज करते हुए जमीन स्वामित्व के विन्दु पर विचार कर आदेश पारित किया गया है। जो गलत है।

पुनः दिनांक 04.03.2011 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई।

सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है। इसलिए विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बनमनखी के न्यायालय के आदेश को खारिज किया जाता है एवं इस अभिलेख को विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बनमनखी को वापस करते हुए निदेश दिया जाता है कि इस वाद की पुनः सुनवाई कर नियमानुसार कार्रवाई करें।

इस निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ